अपील/रसद/05/2022

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

जगदीश सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत खण्डेवला तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर

.......अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी(द्वितीय) भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) भरतपुर दिनांक 9–2–2022 बाबत प्रकरण संख्या 39/21 वमुकदमा सरकार बनाम जगदीश ।

निर्णय   दिनांक 6.4.2022

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) भरतपुर के आदेश दिनांक 9–2–2022 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं प्रतिभूति राशि जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार रसद उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अपीलान्ट डीलर के खिलाफ गबन का कोई आरोप नहीं है, किसी उपभोक्ता ने कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि पार्टी बन्दी के आधार पर मात्र सरंपच के पत्र के आधार पर तहत न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरुद्ध है। उनका यह भी तर्क है कि निलम्बन आदेश दिनांक 6–12–21 जो कि अपीलान्ट को दिनांक 9–1–21 को प्राप्त हुआ है। अपीलान्ट ने राशन वितरण में कोई अनियमितता नहीं की है। अपीलान्ट के व्यवहार के प्रति कोई शिकायत थी तो अपीलान्ट की प्रतिभूति राशि को जप्त किया जा सकता था। अपीलान्ट ने सीडिंग कार्य में कोई अनियमितता नहीं की है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना किसी ठोस कारण के निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

पैरोकार रसद ने अपने तर्कों में बताया कि दिनांक 3.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान में उपभोक्ताओं द्वारा गेहू नही दिये जाने की शिकायत की गई एवं प्रशासन गांव के संग अभियान में विभाग द्वारा आधार सीडिंग से शेष रहे उपभोक्तओं की आधार सीडिंग कराने का कार्य भी डीलर द्वारा सम्पादित नहीं किये जाने, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में लापरवाही बरतने के कारण दिनांक 6.12.2021 को डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया, निलम्बन संबधी आदेश तहसील क्षेत्र के वाट्सअप ग्रुप पर प्रसारित करने के अतिरिक्त डीलर को मोबाईल द्वारा सूचित किया गया था परन्तु डीलर द्वारा निलम्बन के उपरान्त भी 6,7,12,13, व 14–12–2021 को वितरण कार्य किया गया है। पैरोकार रसद का यह भी तर्क है कि डीलर का यह कहना कि उसे निलम्बन की जानकारी दिनांक 9.1.2022 को हुई गलत है क्यों कि डीलर अपीलान्ट ने अपना कार्यभार दिनांक 14–12–2021 को हस्तानान्तरण कर दिया था। अपीलान्ट द्वारा निलम्बन आदेश की जानबूझकर अवेहलना करते हुए हठधर्मता से वितरण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलान्ट पर्चा चार्ज हस्तानान्तरण के आधार पर गलत तथ्यों के आधार पर लाभ लेने का अनुचित प्रसास है अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। तहत पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहत पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि से जाहिर है कि प्रदीप कुमार शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक पहाडी द्वारा दिनांक 3–12–2021 को डीलर के खिलाफ अनियमितता बरतने की शिकायत की गई है जो इस प्रकार है –

> "........दिनांक 23–12–2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत एफपीएस डीलर श्री जगदीश सिंह ग्रां0प0 खण्डेवला तह. पहाड़ी की PMGKAY खाधान्न वितरण में अनियमिता की शिकायत ग्रामीणों ने की तथा बजन तौलने की शिकायत की की गई है। राशन डीलर द्वारा आधार सीडिंग की सूचना में सिर्फ 02 आधार उपलब्ध करायी गयी जिससे परिलक्षित होता है कि डीलर द्वारा कार्य में रुचि नहीं ली गयी तथा कार्य की उपेक्षा की गयी है.........।"

तहत पत्रावली की आदेशिका दिनांक 6.12.2021 से स्पष्ट है कि तहत न्यायालय ने बिना कोई प्राथमिक जांच किये प्रवर्तन निरीक्षक के उक्त पत्र के आधार पर अपीलान्ट डीलर को निलम्बन किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जबाब अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तहत न्यायालय ने जबाब पर प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट तलब की गई है। तहत न्यायालय ने दिनांक 9.2.2022 को प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट को सही मानते हुये अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने की अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन एवं कार्यवाही से यह निर्विवाद है कि तहत न्यायालय ने प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र की सत्यता के बारे में कोई साक्ष्य सबूत लेकर परीक्षण उपरान्त अपना अभिमत व्यक्त करते हुये निर्णय पारित नहीं

.........3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अपील / रसद / 05 / 2022
जगदीश सिंह बनाम जिला रसद अधिकारी

किया है, केवल डीलर द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण आरोपों को सिद्ध माना है। तहत पत्रावली के आदेशिका के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि अपीलान्ट डीलर को साक्ष्य सबूत या सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अस्तु अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर को पुनः साक्ष्य सबूत लेकर परीक्षण कर निर्णय लिये जाने हेतु रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.2.2022 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण का पुनः परीक्षण कर पक्षकारान को साक्ष्य एवं सबूत का अवसर देते हुये विधिसम्मत पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 6.4.2022 को सुनाया गया ।

(अलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर